प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

प्रथम अपील (वैवाहिकी) सं 349/2024

{प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार/कैंप न्यायालय , बालोद के अपंजीकृत / 2024 में दिनांक 5-3-2024 के आदेश से उत्पन्न }

टेमन लाल साहू, पिता आशाराम साहू, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम बासीन, थाना। अर्जुन्दा, तहसील अर्जुन्दा, जिला बालोद (छ.ग.)

आवेदक

----अपीलकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. श्रीमती. हेमलता साहू, पति श्री कोमल साहू (जंगलेश्वर साहू की पुत्री), उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम वार्ड नंबर 4, फिटर कॉलोनी, भरवाली, तहसील और जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश

2.नाबालिग कु. तिशा साहू, पिता तेमन लाल साहू, आयु लगभग 7 वर्ष, विधिक प्राकृतिक अभिभावक माता श्रीमती हेमलता साहू, पति श्री कोमल साहू के द्वारा

दोनों ग्राम वार्ड नं.4, फिटर कॉलोनी, भरवाली, तहसील / जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश के निवासी हैं।

अनावेदकगण

---उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :श्री भरत लाल साहू, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण हेतु :--सुश्री रजनी सोरेन, अधिवक्ता।

युगल पीठ :---

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. अपील दाखिल करने में विलंब हेतु क्षमा हेतु आवेदन पर आई.ए. संख्या 1/2024 पर सुनवाई की गई।

2. अपील दाखिल करने में विलंब के लिए पर्याप्त कारण बताए गए हैं।तदनुसार, अपील संख्या 1/2024 स्वीकार की जाती है और अपील दाखिल करने में हुई 179 दिनों की विलंब को क्षमा किया जाता है।

3. प्रवेश पर भी सुना गया।

4. अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की गई है और पक्षों की सहमति से, अपील की अंतिम सुनवाई की गई है और इस निर्णय द्वारा इसका निराकरण किया जा रहा है।

5. अपीलकर्ता ने हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, '1956 का अधिनियम') की धारा 6 के तहत, संरक्षक और आश्रित अधिनियम, 1890 (संक्षेप में, '1890 का अधिनियम') की धारा 7 के साथ पठित, अपनी नाबालिग पुत्री, अर्थात् उत्तरवादी संख्या 2, की संरक्षकता के लिए, बालोद परिवार न्यायालय के समक्ष आवेदन किया है।बलोद स्थित पारिवारिक न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 1890 के अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित पारिवारिक न्यायालय का होगा, जहाँ आवेदक/अपीलकर्ता की नाबालिग पुत्री रहती है, इसलिए बलोद स्थित पारिवारिक न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इससे व्यथित होकर, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत यह अपील दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरत लाल साहू ने निवेदन किया कि बलोद स्थित पारिवारिक न्यायालय का यह मानना सरासर अनुचित है कि बालाघाट (मध्य प्रदेश) स्थित जिला न्यायालय को 1956 के अधिनियम की धारा 6 और 1890 के अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दायर आवेदन पर निर्णय देने का अधिकार है, अतः आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए तथा वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।

7. उत्तरवादी/अनावेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रजनी सोरेन आक्षेपित आदेश का समर्थन करती है और अपील का विरोध करती है ।

8. वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ता की नाबालिग पुत्री, अर्थात कुमारी तिशा साहू (उत्तरवादी संख्या 2), अपनी माता, अर्थात उत्तरवादी संख्या 1 के साथ बालाघाट (मध्य प्रदेश) में रहती हैं।

9. न्यायालय में उठाए गए निवेदन पर विचार करने के लिए, 1890 के अधिनियम की धारा 9(1) पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:---

"9. आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाला न्यायालय :----

(1) यदि आवेदन किसी नाबालिग के संरक्षकता के संबंध में है, तो वह उस जिले के न्यायालय में किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में नाबालिग सामान्यतः निवास करता है।"

10. 1890 के अधिनियम की धारा 9(1) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने का एकमात्र मानदंड नाबालिग का 'सामान्य निवास' है।विधायिका ने 'सामान्य रूप से निवास' अभिव्यक्ति से तात्पर्य अस्थायी निवास से अधिक कुछ और है।किसी विशेष स्थान पर विवश रूप से, चाहे कितने भी समय तक अस्थायी निवास किया हो, उसे 'सामान्य रूप से निवास' का स्थान नहीं कहा जा सकता है।

11. **रुचि माजू बनाम संजीव माजू मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने का मानदंड नाबालिग का सामान्य निवास स्थान और उस स्थान को अपना सामान्य निवास बनाने का आशय है।सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि 1890 के अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) नाबालिग की अभिरक्षा के लिए आदेश पारित करने हेतु सक्षम न्यायालय की पहचान करती है, और निम्नानुसार टिप्पणी की: --

"24. उपरोक्त को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने का एकमात्र मापदंड नाबालिग का "सामान्य निवास" है।यहाँ प्रयुक्त अभिव्यक्ति है "जहाँ नाबालिग सामान्यतः निवास करता है"।अब, क्या नाबालिग किसी दिए गए स्थान पर सामान्यतः निवास कर रहा है, यह मूलतः आशय का प्रश्न है, जो बदले में तथ्य का प्रश्न है।यह अधिक से अधिक विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो सकता है, लेकिन जब तक अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक यह कभी भी विशुद्ध विधि का प्रश्न नहीं हो सकता है, जिसका उत्तर विवाद के तथ्यात्मक पहलुओं की जाँच किए बिना दिया जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ता ने स्वयं अधिनियम 1956 की धारा 6 और अधिनियम 1890 की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन दाखिल करके यह स्वीकार किया है कि जनवरी 2017 से श्रीमती हेमलता साहू और उनकी नाबालिग पुत्री दोनों बालाघाट (मध्य प्रदेश) में अपने मायके में रह रही हैं, और इस प्रकार, क्षेत्राधिकार का तथ्य स्वीकार किया जाता है।अतः, पारिवारिक न्यायालय का यह निर्णय पूर्णतः उचित है कि बालाघाट (मध्य प्रदेश) स्थित न्यायालय को अधिनियम 1890 की धारा 9(1) के अंतर्गत अपीलकर्ता की नाबालिग पुत्री की संरक्षकता/अभिरक्षा के लिए अधिनियम 1956 की धारा 6 और अधिनियम 1890 की धारा 7 के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार होगा।

13.प्रकरण के उस दृष्टिकोण में, बाल न्यायालय , बालोद ने नाबालिग पुत्री की अभिरक्षा हेतु आवेदन को अस्वीकार कर दिया है जो बिल्कुल उचित है तथा हमें इस अपील में कोई गुण नहीं दिखता है तथा यह खारिज किए जाने योग्य है।हालाँकि, अपीलकर्ता उचित उपाय की तलाश हेतु अधिकार क्षेत्र वाले पारिवारिक न्यायालय से संपर्क करने हेतु स्वतंत्र है, यदि ऐसा सलाह दिया जाता है।

14. उपरोक्त अवलोकन और अपीलकर्ता के पक्ष में आरक्षित स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, अपील खारिज की जाती है और पक्षकारों को अपना-अपना खर्च वहन करना होगा।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur